इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 3-11-2011-1-पांच-(22).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा ,—

(एक) नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कालम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)
1. सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स.	अंशत: जिससे कि प्रवेश कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.

(दो) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-11-2007-1-पांच (95), दिनांक 8-12-2010 को विखण्डित करती है.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2011 से प्रवृत होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. एफ. ए. 3-11-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 3-11-2011-1-पांच-(22) दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

F. A 3-11-2011-1-V (22).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby,—

(i) exempts the class of goods specified in column (1) of the Table below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

Class of Goods (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
1. All kinds of steel bars and angles.	Partly so as to reduce the rate of entry tax to 2 percent.	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer from inside the State of Madhya Pradesh.

(ii) rescinds this department's notification No. FA-3-11-2007-1-V (95) dated 8-12-2010.

This notification shall come into force from 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.